[illegible] हुई अदायगी के बिना [illegible] भेजे जाने के लिए [illegible] अनुमति-पत्र, ग्वालियर [illegible], एम. पी.—19.

पंजी. क्र. ग्वालियर डिवीजन
एम. पी.—19.

परि/2/62

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 जून 1995—आषाढ़ 2, शके 1917

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, जिला एवम् सत्र, न्यायाधीश, रायगढ

रायगढ, दिनांक 18 मई, 1995

क्र. कादो–12-29156.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि स्थान जशपुर नगर, तहसील जशपुरनगर, जिला रायगढ में नोटरी के एक अतिरिक्त पद पर नियुक्ति हेतु नोटरीज नियम, 1956 के नियम चार के अन्तर्गत निम्न अधिवक्ताओं द्वारा मेमोरियल प्रस्तुत किया गया है :-

(1)	श्री विनोदकुमार मिश्रा,	अधिवक्ता,	जशपुर नगर
(2)	,, संजयकुमार मिश्रा	,,	,,
(3)	,, सतीशकुमार पाठक	,,	,,
(4)	,, विजय भूषण सिन्हा	,,	,,
(5)	,, नजारियुस तिग्गा	,,	,,
(6)	,, ओमप्रकाश साय	,,	,,
(7)	श्री पवनकुमार जैन	अधिवक्ता	जशपुर नगर
(8)	सु. श्री समीरा बानो	,,	,,
(9)	श्री विजय कुमार गुप्ता	,,	,,

उपरोक्त अधिवक्ताओं को नोटरी पद पर नियुक्त की जाने में यदि किसी को कोई आपत्ति हो, तो इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 14 दिन के अन्दर नोटरीज रूल्स 1956 के नियम 6, उप-नियम 2 (अ) के अन्तर्गत लिखित आपत्ति, कारणों सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 18 मई 1995 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रकाशित किया गया.

(37-बी.)

आर. के. मिश्रा,
जिला एवं सत्र न्यायाधीश.

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

कार्यालय, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, कुंभराज, जिला गुना

क्र. 17—नगर पंचायत परिषद्, कुंभराज द्वारा नगर पंचायत के [illegible] का [illegible] द्वारा [illegible] किया जाता है कि कुंभराज नगर पंचायत सीमा के भीतर [illegible] बाजार फीस की दर में मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 130 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् संकल्प क्रमांक 17, दिनांक 25-2-1995 द्वारा निम्नानुसार वृद्धि करना निश्चित किया गया है.

अतएव मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 130 की उपधारा (4) के अनुसार प्रकाशित किया जाता है कि

प्रस्तावित संशोधित दरें इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस के पश्चात प्रभावशील होगी.

अनुसूची

विवरण	वर्तमान दरें	संशोधित दरें
बाजार फीस	0.50 पैसे	1.00 रुपया

(36-बी.)

No.17 --The inhabitants of Kumbhraj town residing within the limits of kumbhraj Nagar panchayat are herely infarmed through this notice that the Nagar panchayat, Kumbhrai has dicided to enhance the existing rate of Bazar fees passed kide council resolution No. 17 dated 25th, February 1995, Using the powers confered on it under sub-section (2) of section 130 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961).

It is there fore Published as required under sub-seetion (4) of the section 130 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 that the proposed revised rates shall come in to force after the expiry of 30 days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Rajpatra:--

Particulars	Existing Rate	Revised Rate
Bajarfees	0.50 paise	1.00 paise

R. B. Shrivastava,
Chief Municipal Officer.

(36-B.)

कार्यालय, उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 10 अप्रैल 1995

क्र. 30/95.--मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन 1973) की धारा 50 की उप-धारा (3) के अधीन उज्जैन निवेश क्षेत्र के ग्राम मालनवासा, शक्करवासा, गोयलाखुर्द के लिये मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 3 (1) में पृष्ठ क्रमांक 1576, 1577, दिनांक 27 नवम्बर 1992 में जारी योजना पी-8/90 को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 50 की उप-धारा (4) के अधीन तथा यथा अनुमोदित नगर विकास योजना को सर्व-साधारण की जानकारी के लिये उक्त विधान की धारा 50 (7) के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है कि इस योजना में ग्राम मालनवासा, शक्करवासा एवं ग्राम गोयलाखुर्द के निम्न खसरों की भूमि समाविष्ट है :--

ग्राम मालनवासा के खसरा क्र. 116/2 अंशभाग, 124/2 अंशभाग, 157 अंशभाग, 159, 160, 161 अंशभाग, 162 अंशभाग, 163 अंशभाग, 164, 165 अंशभाग, 166 से 178 तक 179 अंशभाग, 180 अंशभाग, 202 अंशभाग, 203, अंशभाग, 204 से 262, 263 अंशभाग, 264 से 275 तक 276 अंशभाग, 281/1 अंशभाग, 282, 289/1 अंशभाग, 290 अंशभाग, 291 से 319 तक, 317/336, 173/337, 225/339.

ग्राम शक्करवासा के खसरा क्र.--69 अंशभाग, 70 से 76, 77 अंशभाग, 78, 79 अंशभाग, 80 अंशभाग, 81, 82/1 अंशभाग, 82/2, 83, 84 अंशभाग, 85 से 88, 89 अंशभाग, 92 अंशभाग, 93 अंशभाग, 97 अंशभाग.

ग्राम गोयलाखुर्द के खसरा क्र.--361/1 अंशभाग, 42, 44/2 अंशभाग, 58 से 73 तक, 74/1 अंशभाग, 74/2, 110 अंशभाग, 116 अंशभाग, 118, 119, 123 से 134 तक 135 अंशभाग, 136 अंशभाग, 178 अंशभाग, 179 से 185 तक 186 अंशभाग, 187 अंशभाग.

उक्त योजना की प्रतिलिपि निम्न लिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिये उपलब्ध है:--

1. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, भरतपुरी, उज्जैन.
2. आयुक्त, नगर पालिका निगम उज्जैन.
3. उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन.

उक्त पी-9/90 योजना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील मानी जावेगी.

(38-बी.)

Dated 10 April 1995

No.30/95.-The Town development Scheme for the development of P-8/90 Scheme published in Madhya Pradesh Rajpatra part-3 (1) page 1576-1577 dated 27 November 1992 under Section (3) of Section 50 of town and country planing Act, 1973 (No. 23 of 1973) and as approved under sub section (4) of Section 50 of the town country palnning Act, 1973 is hereby published for the information of the general public under sub-section (7) of Section 50 of the said act bearing following Survey Nos. of Gram Majanwasa, Shakkarwasa and Goyalakhurd:-

Gram Malanwasa survey Nos.- 116/2 part, 124/2 part-157 part, 159, 160, 161 part, 162 part, 163 part, 164, 165 part, 166 to 178, 179 part, 180 part, 202

203 part, 204 to 262, 263 part, 264 275, 276 part, 281/1 part, 282, 289/1 ırt, 290 part, 291 to 319, 317/336, 173/ 37, 225/339.

Gram Shakkarwasa Survey Nos.– 69 part, 70 to 76, 77 part, 78, 79 part, 80 art, 81, 82/1 part, 82/2, 83, 84 part, 85 88, 89 part, 92 part, 93 part, 97 part.

Gram Goyalakhurd Survey Nos.–36/1 art, 42, 44/2 part, 58 to 73, 74/1 part, 4/2, 110 part, 116 part, 118, 119, 123 to 34, 135 part, 136 part, 178 part, 179 to 35, 186 part, 187 part.

The copies of the said scheme are available for inspection during office hours at e following offices namely.–

1. Joint Director, Town and country Planning Bhartpuri Ujjain.
2. Municipal Commissioner Municipal Corporation. Ujjain.
3. Ujjain vikas Pradhikaran Ujjain.

The said P–8/90 Scheme shall come in operation with effect from the date of blication of this scheme in the *Madhya desh Rajpatra*.

Ashutosh Mudgal,
Chief Executive Officer.

-B.)

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश वक्फबोर्ड

स्कीम बराये इंतेजाम व इंसेराम औकाफ

ये निफाज इख्तेयारात मुंदर्जा दफा 15 (2) (डी) वक्फ 1954 (नम्बर 29, सन 1954) व जवाबित मध्यप्रदेश बोर्ड 1964 के जब्ता नं. 20 (1) (2) (ए) के तहत मध्य-वक्फ बोर्ड मुतवल्ली कमेटियों की तश्कील उनके तरीकाकार ... व फराइज के बारे में दरब जैल स्कीम वजा करता है.

मुख्तसर नाम और निफाज :

1) ये स्कीम "मध्यप्रदेश वक्फ स्कीम सन 1989 बराये इंतेजाम व इंसेराम औकाफ के नाम से मौसूम हो गई"
2) ये स्कीम तारीख इजरा से फौरन निफाज पजीर होगी.
3) ये स्कीम उन तमाम औकाफ के इंतेजाम व इंसेराम के लिये आइद होगी जो मुतवल्ली या मुतवल्ली कमेटी इंतेजामियां के जेर एहतमाम है या आइंदा होंगे और जिनके लिये इंतेजाम व इंसेराम की कोई स्कीम या हिदायत ... नहीं लिखी है जिनसे ... तालिक ... अदालत या कलेक्टर ने किसी ... [illegible]

(4) अगर मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड दो तिहाई मेम्बरों की कसरत राय से यह तय करता है कि वक्फनामा में दर्ज स्कीम मौजूदा हालात में काबिल अमल नहीं है या वक्फ के लिये मुफीद नहीं है तो ये स्कीम ऐसी जायदाद के इंतेजाम व इंसेराम पर भी आइद होगी.

2. स्कीम का इतलाक :

इस स्कीम का इतलाक मध्यप्रदेश के उन जुमला औकाफ पर होगा जो वक्फ एक्ट, 1954 के मध्यप्रदेश में लागू होने से पहले या बाद में वजूद में आये हैं या आइंदा आयेंगे लेकिन खास हालात में इस स्कीम को किसी को खास वक्फ के अगराज व मकासिद और इसके दस्तरूल अमल के पेश नजर तरमीम हालात शुदा में लागू किया जा सकेगा.

3.

(1) इस स्कीम में अगर सियाक इबारत का करीना इसके खिलाफ न हो तो एक्ट से मुराद वक्फ एक्ट, 1954 (नं. 29 सन् 1954) है.

(2) "बोर्ड" से मुराद मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड है.

(3) "चेयरमेन" से मुराद चेयरमेन एम.पी. वक्फ बोर्ड है.

(4) जिला "वक्फ कमेटी" से, मुराद वह वक्फ कमेटी जो वक्फ एक्ट, 1954 की दफा 16 (1) और जवाबित जिला वक्फ कमेटीज मुरत्तिबा व मंजूरशुदा मोरिखा 23 मार्च 1970 के तहत जाब्ता नम्बर 3 व 4 के तहत मुकर्रर की गई हो.

(5) "फण्ड" से मुराद मुतवल्ली कमेटी का फण्ड है जो वक्फ एक्ट, 1954 की दफा 48 के मुताबिक कायम किया गया गया हो.

(6) "गवर्नमेंट" से मुराद मध्यप्रदेश गवर्नमेन्ट है.

(7) "कवाइद" से मुराद कवाइद मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड 1960 है.

(8) "जवाबित" से मुराद जवाबित मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड 1963 है. ये वह जवाबित है जो वक्फ एक्ट की दफा 68 के तहत वक्फ बोर्ड ने मुरत्तब किये हैं.

(9) "मुतवल्ली कमेटी" से मुराद वह कमेटी है जो जवाबित हाजा 4 के तहत मुकर्रर की जाये. मुतवल्ली के मायनी वही होंगे जो वक्फ एक्ट, 1954 की दफा 3 (एफ) में दर्ज है.

(10) तमाम दूसरे अलफाज और मुस्तलहात के जो इस स्कीम में इस्तेमाल हुये हैं लेकिन जिनकी तारीफ नहीं की गई वही मायने होंगे जो उनके लिये फरदन कानून और जवाबित में मुतअय्यन किये गये हैं.

4. मुतवल्ली कमेटी की तश्कील :

(1) हर वक्फ या औकाफ और उनसे मुताल्लिक ... की ... के लिये वक्फ बोर्ड ... [illegible] ... इस बारे में बोर्ड ने ... किया हो. जि. वक्फ कमेटी

की तजवीज और मेम्बर बोर्ड इंचार्ज जिले की सिफारिश पर, एक कमेटी बजरिये नामजदगी मुकर्रर करेगा, जो जाइद अज जाइद ग्यारह अफराद और कम-से-कम पांच अफराद पर मुश्तमिल होगी. लेकिन अगर जिला वक्फ कमेटी या मेम्बर बोर्ड एक माह से जाइद ताखीर करे तो चेयरमेन वक्फ बोर्ड अपनी सवाबदीद से कमेटी तश्कील करने का मजाज होगा लेकिन ये शर्त है के इस स्कीम के लागू होने पर किसी वक्फ की मौजूदा कमेटी में अगर मुतजक्किरह सदर तादाद से ज्यादा मेम्बर हों, तो वह आइंदा तश्कील तक बदस्तूर कायम रहेंगे.

(2) इस कमेटी की म्याद कारवर्दगी तारीख तकर्रुर से तीन साल या वह मुद्दत होगी जो चेयरमेन वक्फ बोर्ड मुकर्रर करें, लेकिन इन औकाफ की इंतेजामिया कमेटियों की मुद्दत जो इस स्कीम के निफाज से कब्ल तश्कील की गई हों और उस वक्त खत्म होगी जिस मुद्दत के लिये वह कमेटी कायम की गई थी और अगर कोई मुद्दत नहीं दी गई है, तो तीन साल मानी जा सकेगी.

(3) इस कमेटी के मेम्बरान एजाजी होंगे.

(4) मुतवल्ली कमेटी की मियाद खत्म होने के बाद वह मुतवल्ली कमेटी उस वक्त तक काम अंजाम देती रहेगी जब तक जदीद मुतवल्ली कमेटी तश्कील न कर दी जायेगी.

(5) साबिक मुतवल्ली कमेटी जदीद मुतवल्ली कमेटी को लाजमी तौर पर वक्फ की जायदाद मंकूला व गैर मंकूला रजिस्ट्रात हिसाबी व तहवील नगद वगैरा का मुकम्मल चार्ज सुपुर्द कर देगी. ऐसा न करने की सूरत में बोर्ड के हुक्म से साबिका कमेटी के खिलाफ कार्रवाई बजरिये पुलिस की जाकर चार्ज लिया जा सकेगा.

(6) बोर्ड को इख्तेयार होगा के अगर किसी वक्फ और उसकी जायदाद के इंतजाम के लिये इंतेजामिया कमेटी की तश्कील मुमकिन न हो या हालात मुकामी उनके मनाफी हों, तो बजाये कमेटी उस वक्फ का इंतेजाम व इंसेराम किसी शख्श वाहिद के सुपुर्द एक मुईना वक्त के लिये करलें ऐसे शख्स को वह इख्तेयारात हासिल होंगे जो स्कीम हाजा की रू से कमेटी और उसके ओहदेदारान को हासिल हैं और उस पर इन तमाम दफात की पाबंदी लाजमी होगी जो स्कीम हाजा में मेहकूर हैं.

[illegible] को इख्तेयार होगा कि इस स्कीम में हस्ब जरूरत [illegible] करे.

[illegible] रमेन वक्फ बोर्ड को पूरा इख्तेयार होगा [illegible] अपने फराइज बहुस्नोंखूबी अंजाम न दे या वक्फ के मुफादात के खिलाफ काम करे या वक्फ को नुक्सान पहुंचाये तो इसे किसी भी वक्त बर्खास्त कर दें.

5. मुतवल्ली कमेटी के मेम्बरान की हैसियत :

मुतवल्ली कमेटी में नामजदगी के लिये मुंदर्जा एहलियत रखने वाले अश्खास शामिल होने के एहल होंगे :—

(अलिफ) इक्कीस साल की उम्र पा चुके हों.

(बे) लिखे पढ़े हों और सोम व सलात के पाबंद हों.

(जीम) इस्लामी मसाइल और शरा से वाकिफ हों.

(दाल) मुतदीन और महज़ब हों.

(हे) किसी मुतवल्ली के ओहदे या मुतवल्ली या जिला वक्फ कमेटी से पिछले पांच साल में बर तरफ न किये गये हों और किसी मुतवल्ली कमेटी की मेम्बरी ओहदे मुतवल्ली पर नौ साल के अरसे तक न रहे हों.

(वाओ) वक्फ के किसी मकान, दुकान, इमारत या जमीन के किरायेदार खुद या उनके मुतअल्लेकीन न हो या वक्फ की जायदाद पर कब्जा नाजाइज न कर रखा हो.

(जाल) जिला वक्फ कमेटी के ओहदेदार अगर ऐसे हुआ तो पहले जिला वक्फ कमेटी की रूकियत से मुस्तुफी होना लाजिमी होगा बसूरत दीगर अलेहदा कर दिया जायेगा.

6. मुतवल्ली कमेटी के मेम्बर मुकर्रर होने के लिये ना-एहलियत :

कोई शख्स मुतवल्ली कमेटी का मेम्बर मुकर्रर होने या मेम्बर रहने के लिये ना एहेल हो तो काबिल बरतरफी होगा अगर :—

(अलिफ) उसने अपने फराइज को अंजाम देही में गफलत बरती हो या बोर्ड की नजर में इसका फेल मुतअल्लिका वक्फ के मफाद के खिलाफ हो.

(बे) वह दीवालिया या पागल हो या माकूल जरिया मआश न रखता हो.

(जीम) किसी ऐसे जुर्म की पादाश में सजायाफ्ता हो जो अख्लाकी पस्ती के जिमन में आता हो. नीज किसी फौजदारी मामले में मुलव्विस हो.

(दाल) उसने अपने फराइज की अंजामदेही से इंकार किया हो.

(तोए) वह जिस्म तो और दिमागी तौर पर बहैसियत मेम्बर काम करने के लायक न रह गया हो जैसा के वक्फ एक्ट दफा 43 (सी) में सराहत है.

(वाय) वह वक्फ जायदाद से खुद मुस्तफीद होने लगा हो या अफराद खानदान को इस्तेफादह पहुंचा रहा हो या किसी वक्फिया जायदाद पर कब्जा नाजाइज कर लिया हो या वक्फ मुतअल्लिका की वक्फिया जायदाद का किरायेदार हो या साबिका वक्त में वक्फ का बकायादार रहा हो.

(तीन) वह मुसलसल तीन जलसों में बगैर इजाजत सदर हाजिर रहा हो.

7. इस्तीफा :

(1) कोई मेम्बर अपना दस्तखती इस्तीफा सदर मुतवल्ली कमेटी को मार्फत चेयरमेन, एम.पी. वक्फ बोर्ड को देकर मुस्तफी समझा जायेगा.

(2) वक्फ बोर्ड, मेम्बर के इस्तीफे या वफात मेम्बर से खाली जगह पर दूसरे एहल शख्स का तकर्रुर मुतवल्ली कमेटी की सिफारिश पर कर सकेगा. बशर्ते ये कि जिला वक्फ कमेटी सिफारिश करे. ऐसे मुकर्रर मेम्बर की मुद्दत कारकर्दगी मुतवल्ली या मुस्तफी मेम्बर को माबकी मियाद होगी.

(3) अगर मुतवल्ली कमेटी के आधे से ज्यादा मेम्बरान मुस्तफी हो जायें तो कमेटी शकिस्त शुदा समझी जायेगी और बोर्ड नई कमेटी मुंदर्जा बाला जाब्ता 7 (2) के तहत मुकर्रर करेगा, जिसकी मियाद कारकर्दगी तारीख मुकर्रर से तीन साल या वह मुद्दत होगी जो चेयरमेन या बोर्ड मुकर्रर करे.

. मुतवल्ली कमेटी के ओहदेदारान :

(1) मुतवल्ली कमेटी की तश्कील के वक्त वक्फ बोर्ड या वह अफसर जिसको बोर्ड ने मजाज किया हो एक सदर, एक सेक्रेटरी और एक खजांची मुकर्रर करेगा.

(2) सदर जिस जलसे में शरीक न हो सके उस जलसे के लिये हाजरीन मेम्बरान किसी सीनियर मेम्बर को सदर चुन लेंगे जो सिर्फ इसी जलसे की सदारत करेगा.

(3) सदर सेक्रेटरी या खजांची अपना दस्तखती इस्तीफा बोर्ड को मार्फत मुतवल्ली कमेटी व जिला वक्फ कमेटी पेश कर ओहदे से मुस्तफी हो सकेंगे ऐसा इस्तीफा तारीख इस्तीफे से माना जायगा और इस्तीफा कुनिन्दा को इस्तीफा वापस लेने का इख्तेयार न होगा सदर, सेक्रेटरी या खजांची के मुस्तफी होने या वफात होने पर माबकी मुद्दत के लिये मेम्बरान दूसरा सदर, सेक्रेटरी या खजांची जैसा भी सूरत हो अगले जलसे में मेम्बरान में से मुन्तखिब करेंगे.

मुतवल्ली कमेटी के ओहदेदारान की अपने ओहदे से अलेहदगी :

मुतवल्ली कमेटी अपने खसूसी इजलास में ऐसी तजवीज के जरिये जो कम अज कम दो तिहाई अक्सरियत से मंजूर की गई हो किसी भी ओहदेदारान को उसके ओहदे से अलेहदा कर सकेगी. लेकिन ओहदेदार मजकूर को मुतवल्ली कमेटी में मेम्बर की हैसियत से शामिल रहेगा.

(2) किसी ओहदेदार के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक मुतवल्ली कमेटी के कम अज कम एक तिहाई मेम्बरान के जरिये पेश की जा सकेगी तहरीक के मौसूल होने के बाद 5 दिन का नोटिस देकर मुतवल्ली का मखसूस इजलास मुकामी जिला वक्फ कमेटी के नुमाइन्दे की मौजूदगी में तलब किया जायेगा. जिसकी इत्तेला बर वक्त मकामी जिला वक्फ कमेटी को भी दी जायेगी. ऐसे इजलास में जिमन (1) के मुताबिक कार्यवाही की जायगी.

10. मुतवल्ली कमेटी के इख्तेयारात व फराइज :

(1) मुतवल्ली कमेटी मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के मातहत होगी और जिला वक्फ कमेटी की निगरानी में इंतेजामिया काम अंजाम देगी और उस वक्फ या उन औकाफ जो उसकी तौलियत में दिये जायें कि निगरानी व तहफ्फुज और इंतेजाम व इसेराम की जिम्मेदारी होगी.

(2) मुतवल्ली कमेटी के इख्तेयारात व फराइज हस्ब जैल होंगे :

(अलिफ) मस्जिद व कब्रस्तान, दरगाह मजार इमामबाड़ा खानकाह, मकबरा, तकिया या जायदाद वक्फ जो उसको तौलियत में दिये जायें का तहफ्फुज करना और अगर कोई जमीन हो तो उसको आबाद या उसमें जराअत का इंतजाम करना, लेकिन दफा 36 (ए) वक्फ एक्ट के मुताबिक कोई भी जायजाद बगैर मंजूरी बोर्ड रहन, बैय हिबा या मुंतकिल नहीं की जायेगी ऐसी कार्रवाई की तरदीक होने पर कमेटी को तमामतर जिम्मेदारी होगी और दफा 43 के तहत बरतरफ की जा सकेगी और मुतवल्ली कमेटी के इस गैर कानूनी अमल से वक्फया जायदाद को जो नुकसान होगा उसकी तलाफी कमेटी के मेम्बरान से व नको जाती जायदाद से काबिल वसूल होगी.

(बे) मस्जिद की सूरत में पंच वक्ता नमाज का इंतजाम तरावीह खत्म कुरान पाक माह रमजान का इंतेजाम करना अगर तालीम कुरान होती हो तो उस मकतब को चलाना और न हो तो मकतब खोलना, इमाम, मुअज्जिन मुदर्रिस को मुकर्रर करना और उनको वक्फ की आमदनी के मुताबिक तनख्वाह अदा करना.

(जीम) वक्फ जायदाद की तामीर व मरम्मत करना, तामीर के लिये जायदाद का नक्शा बोर्ड से मंजूर कराना तामीर जदीद की मंजूरी बोर्ड से हासिल करना वक्फ जायदाद की आमदनी को वाकिफ की मंशा के मुताबिक उसी तरफ की अखराजात पर सर्फ करना और अगर फाजिल में

वसूलशुदा रकम हो तो अव्वलन उसी जायदाद की मरम्मत व तौसी पर सर्फ करना फिर दीगर उमूर गैर में खर्च करना.

(हे) वक्फ की जरूरत के लिये चंदाजात, अतियत हासिल करना और उनका इंद्राज वक्फ के हिसाबात में करना.

(वओ) हर साल माह जनवरी में आइंदा माली साल के बजट को मंजूरी बोर्ड से हासिल करना, दौरान साल एक मद से दूसरी मद में रकम की मुंतकिली व सर्फ की मंजूरी देना और ऐसे तमाम अखराजात की मंजूरी देना जो सदर या सेक्रेटरी के इख्तियारात से जाइद हों.

(जाल) वक्फ एक्ट की दफा 31, 32 और वक्फ बोर्ड के जाब्ता 70 या 73 के तहत सालाना बजट व हिसाबात वक्फ बोर्ड को तहत दफा 46(4) वक्फ एक्ट इरसाल करना और रकम चंदा निगरानी वक्फ बोर्ड को वक्त पर अदा करना अगर ऐसा न किया गया तो वक्फ एक्ट की दफा 43(इ) के तहत कार्रवाई करने पर कोई उज्र काबिल समाअत न होगा.

(हे) बोर्ड के तमाम एहकामात की तामील करना जो बोर्ड वक्तन फवक्तन दे.

(तोए) सदर व सेक्रेटरी मुतवल्ली कमेटी के उन एहकामात के खिलाफ जो मुलाजमान वक्फ के मुतल्लिक हों सुनना और फैसला देना.

(ये) ऐसे मुलाजमान जो मसाजिद कमेटी भोपाल से मुकर्रर हों उनके फराइज की अंजाम देही के बारे में कमेटी मजकूर की रिपोर्ट देना.

(दाल) कमेटी के जेरे तौलियत वक्फ के मुताल्लिक वह मुकदमात जो कमेटी दायर करे या बोर्ड की तरफ से दायर किये गये हों या कमेटी या बोर्ड के खिलाफ किये गये हों उनकी पैरवी व बचाओ करना और इस सिलसिले में जिला वक्फ कमेटी व बोर्ड की मदद करना और इस सिलसिले में तमाम मसारिफ मुकदमा वकील फीस वगैरह बरदाश्त करना.

(लाम) वक्फ के इंतेजाम के लिये मुलाजमान का तकर्रुर करना और उन्हें मुलाजमत से सुबुकदोष करना.

(मीम) कमेटी पर लाजिम होगा के सालाना बकाई बजट का बीस फीसद मेहफूज किसी Nationalised Bank में Reserved fund की सूरत में मेहफूज रखे जो बिना मंजूरी वक्फ बोर्ड सर्फ नहीं किया जा सकेगा.

(नून) हर साल माह अप्रैल में पिछले माली साल की आमदनी व मसारिफ का तफसीली गोश्वारा किसी ऐसी जगह आवेजां करना जिसे हर खास व आम देख सकें और उसकी इत्तेला जिला वक्फ कमेटी और वक्फ बोर्ड को देना और उसके अलावा....

(1) जुमला इंतेजाम व इंसेराम जो वक्फ के लिये हों और वक्फ के मफाद में हो करना.

(2) वक्फ की जायदाद को 11 माह तक के किराये पर देना और अगर ज्यादा मुद्दत के लिये किराये पर देना मंजूर हो तो बोर्ड से इजाजत हासिल करना.

(3) वक्फ की जायदाद की मरम्मत या तामीर के लिये कर्ज या कब्ल मंजूरी बोर्ड हासिल करना.

(4) हर प्लान या रकम को अमली जामा पहनाने से कब्ल बोर्ड की मंजूरी हासिल करना.

(5) तहत जाब्ता नं. 71 जवाबित मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड हिसाबात मुरतब करना और उनकी निगरानी रखना.

(6) वक्फ के नाम से बैंक या डाकखाने में ज्वाइंट खाता खुलवाना जिसके ऑपरेटर सदर और सेक्रेटरी दोनों हों और बैंक या डाकखाने से रकम निकालने की इजाजत देना.

(7) इस बात की निगरानी रखना के मसारिफ बजट से ज्यादा न हों.

(8) अगर वक्फ को तामीर व मरम्मत के लिये बोर्ड से माली इमदाद दरकार हो तो तजवीज मसदिदका स्टीमेट जिला कमेटी के तवस्सुत से इरसाल करना.

(9) बोर्ड के हर हुक्म और हिदायत की पाबंदी करते हुये अमल करना अगर वक्फी जायदाद जो उसकी तौलियत में है अगर उसको किसी दूसरे शख्स कमेटी जिला वक्फ कमेटी या बोर्ड या जिला वक्फ कमेटी के किसी मुलाजिम को कब्जा देने का बोर्ड हुक्म दे तो बगैर किसी उज्र के कब्जा देने का पाबंद रहना.

(10) बोर्ड के किसी जिम्मेदार मुलाजिम, मेम्बर बोर्ड या जिला वक्फ कमेटी जिसको बोर्ड मुकर्रर करे वक्फ के हिसाब व रिकार्ड का मुआयना करवाना.

(11) बोर्ड के आडिटर से वक्फ के हिसाब का आडिट करवाना.

(12) बोर्ड या सब कमेटी के जरिये वक्तन फ-वक्तन मांगे गये नक्शोजात, रिटर्न व दीगर तफसीलात वक्त के अंदर पेश करें.

(13) मुतवल्ली या मुतवल्ली कमेटी के लिये जायज नहीं होगा के वक्फी जायदाद का अपनी जात के लिये इजारे पर या किराये पर दे या उसमें सकूनत इख्तियार करे.

(14) मुतवल्ली को जायदाद मौकूफा की आमदनी के गैर अमीन के पास अमानत रखने का हक न होगा. बल्कि किसी Nationalised Bank में रखे.

(15) मुतवल्ली या मुतवल्ली कमेटी की Term of office खत्म होने पर या बोर्ड के जरिये माजूल करने पर बोर्ड के जरिये तश्कील की गई या मुकर्रर की गई दूसरी नई कमेटी को फौरन

बगैर किसी उज्र के वक्फ की जायदाद रिकार्ड व केश के वगैरह का चार्ज देना लाजिम होगा.

मुतवल्ली कमेटी के इख्तेयारात व फराइज :

वल्ली कमेटी के सदर के इख्तेयारात व फराइज हस्ब ल होंगे :—

) वक्फ जायदाद की [illegible] करना.

) मुतवल्ली कमेटी के जलसे की सदारत करना.

) कमेटी के जलसे तलब करने के लिये कोसेक्रेटी हिदायत देना.

) कमेटी के जलसे में पेश किये जाने वाले एजेण्डे को मंजूरी देना.

) कमेटी के जलसे में मंजूर शुदा तजवीज की तफसील की निगरानी करना.

) मुलाजमान वक्फ की रुखसत जाइद 15 योम की मंजूरी देना और मुलाजमान के अय्यामे रुखसत में आरजी इंतेजाम करना.

) रजिस्टर रुयेदाद पर रुयेदाद की तस्दीक करना.

) सेक्रेटरी के दफ्तर का मुआयना करना और कमेटी में रिपोर्ट देना.

वक्फ के तरीके दरूत हिसाबात की निगरानी रखना, उनकी जांच व तकीक कराना और कमेटी में रिपोर्ट पेश करना.

तहत दफा 31 वक्फ एक्ट मुतवल्ली कमेटी के मंजूर-शुदा बजट को बराये मंजूरी बोर्ड माह फरवरी में और हत दफा 32 वक्फ एक्ट हिसाबात आमद व खर्च सालाना को माह अप्रैल तक इरसाल कराना.

तहत दफा 46 (4) वक्फ एक्ट चन्दा निगरानी की अदायगी को वक्फ के जुमला मसारिफ से मुकद्दम समझते हुये आयदशुदा चन्दा निगरानी बिला ताखीर अदा कराना.

तमाम सरकारी व नीम सरकारी मतालबात की अदायगी बर वक्त कराना.

जुमला इकरारनामों और दस्तावेजात पर जो कमेटी की जानिब से तहरीर हों उन पर दस्तखत करना.

पच्चीस रुपये तक के इखराजात को मंजूरी देना जो एक माली साल में एक हजार से जाइद न हो.

ऐसे वह काम करना जो मुतवल्ली कमेटी को जिला वक्फ कमेटी या बोर्ड वक्तन फवक्तन तफवीज करें.

री मुतवल्ली कमेटी के इख्तेयारात व फराइज :

ी कमेटी के सेक्रेटरी के इख्तेयारात व फराइज हस्ब होंगे :

तवल्ली कमेटी के जलसे का तय्यार बमशवरा सदर और तारीख वक्त मुकाम की इत्तेला कम अज कम रोज कब्ल मेम्बरान कमेटी को तहरीर इरसाल करना,

(4) मुलाजमान को उनकी खिदमात की अंजमोदेही में मुनासिब हिदायत देना.

(5) कमेटी के जलसों में नये फैसलों तजावीज और एहकाम का निफाज करना.

(6) कमेटी की रुयेदाद का रजिस्टर मुरत्तब करना और सदर दस्तखत तस्दीकी हासिल करना.

(7) रिकार्ड दफ्तर को महफूज और मोहज्जब रखना और वक्फ बोर्ड या जिला वक्फ कमेटी से खतो कितावत करना और वक्फ बोर्ड या जिला वक्फ कमेटी से मौसूल हुई हिदायात वगैरह को कमेटी के जलसे में बिला ताखीर पेश करना.

(8) खजांची के जरिये तहरीर कर्दा सियाहा व लेजर पद बाद मीलान रसीदात व एहकाम दस्तखत तस्दीक करना.

(9) सालाना बजट और हिसाबात के गोश्वारा जात तैयार कर सदर की मार्फत कमेटी के जलसे में पेश करना और बरवक्त बोर्ड को इरसाल करना.

(10) चंदा निगरानी की अदायगी बर वक्त करना.

(11) जिला वक्फ कमेटी या वक्फ बोर्ड के हुक्म पर वक्फ जायदाद व रिकार्ड का मुआयना करना.

(12) बीस रुपये तक के इखराजात को मंजूरी देना जो इस माली साल में सकसद रुपये से जाइद न होगी.

(13) वह फराइज अंजाम देना जो मुतवल्ली कमेटी किसी रिजवेंशन या जिला वक्फ कमेटी या बोर्ड किसी हुक्म या हिदायतो से तफवीज किये जायें.

13. खजांची मुतवल्ली कमेटी के इख्तेयारात व फराइज :

मुतवल्ली कमेटी के खजांची फराइज व इख्तेयारात मुंदर्जा जैल होंगे :—

(1) जेरे तहवील नगर की सूरत में वक्फ की सालाना आमदनी का दस फीसद हिस्सा अपने पास रखना और बाकी तमाम रकम बैंक या डाकखाना में जमा रखना.

(2) जेरे तहवील को बैंक या डाकखाना से सदर और सेक्रेटरी दोनों के दस्तखतों से रकम बर आमद करना.

(3) जेरे तहवील को मुतवल्ली कमेटी के सदर या सेक्रेटरी के एहकामात पर सर्फ करना.

(4) केश बुक (सियाहा) लेजर व रसीदात आमद व सर्फ महफूज रखना.

(5) आमदनियात व अतियात हासिल कर रसीद जारी करना.

(6) रकम जेरे तहवील को गोश्वारा माहाना मय मादाद आमद व खर्च मुरत्तब करके सेक्रेटरी व सदर की मार्फत कमेटी को पेश करना. वक्फ की जायदाद मंकूला व गैर मंकूला के रजिस्ट्रात के साथ दीगर रजिस्ट्रात तहत जाब्ता ए जवाबित मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड मुरत्तब करना.

(9) ऐसे इख्तेयारात व फराइज का अंजाम देना जो मुतवल्ली कमेटी किसी रेगुलेशन या जिला वक्फ कमेटी या बोर्ड किसी हुकम से तपवीज किये जायें.

14. मुतवल्ली कमेटी का कौरम व जलसा :

(1) मुतवल्ली कमेटी का कोरम तादाद मेम्बरान कमेटी का निस्फ होगा कोरम पूरा न होने की सूरत में मुल्तवी शुदा जलसा के लिये कोरम की कैद न होगी.

(2) कमेटी का इजलास हर माह में एक बार होगा और बशर्ते जरूरत हंगामी जलसा भी तलब किया जा सकता है.

(3) कमेटी का हर फैसला कसरत राय से बजरिये वोट होगा और मेम्बरान की मसावी तक्सीम पर कमेटी के सदर को इस्तेमाजी वोट इस्तेमाल करने का हक होगा.

(4) कमेटी के जलसे का नोटिस तारीख जलसा से कम अज कम दस दिन पहले और ऐजेण्डा कम अज कम पांच दिन पहले मेम्बरान को दिया जायेगा. हंगामी इजलास का नोटिस व ऐजेण्डा दो दिन कब्ल दिया जायेगा.

15. हंगामी व मखसूस हालात में इन्तेजाम :

वक्फ बोर्ड को इख्तेयार होगा के मुतवल्ली कमेटी की मुद्दत कारकर्दगी खत्म होने पर नई कमेटी के तश्कील होने तक किसी शख्स को मुतवल्ली मुकर्रर करे या पुरानी कमेटी की म्याद कारकर्दगी में इजाफा करे. ऐसे मुतवल्ली शख्स को वही इख्तेयारात व फराइज हासिल होंगे जो मुतवल्ली कमेटी को थे.

16. इख्तेलाफात का रफा किया जाना :

अगर इस स्कीम के अमल दरामद में कोई दुश्वारी पेश आये तो वक्फ बोर्ड को इख्तेयार होगा के इस मसले को तय करने के सिलसिले में एहकाम सादिर करे या ऐसी दीगर कार्रवाई करे जो वह इख्तेलाफात मजकूर रफा करने के लिये जरूरी समझे. ऐसा फैसला कतई व मुस्तमिम होगा.

एम. वकी एहमद,
सचिव.

(35-बी.)

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, जिला देवास

क्र. 1774/तास/स्वा-2/95.—देवास जिले में संक्रामक रोग हैजा के फैलाव की आशंका के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इन सांसर्गिक बीमारियों के प्रादुर्भाव और फैलाव की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय तत्काल लागू किये जावें.

2. अतः मैं मनीषा सिंह, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, देवास आंतरिक हैजा विनियम 1973 नियम 5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण देवास जिले में अधिसूचित क्षेत्र घोषित करती हूं तथा आदेश देती हूं कि :—

(क) अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, उपहारगृहों, भोजनालयों, होटलों, जनता के लिये खाद्य और पेय पदार्थों के निर्माण करने या उनके प्रयोग करने के लिये कायम किये गये स्थानों ... विक्रय हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर :—

1. बासी मिठाईयां, नमकीन वस्तुओं या सड़े-गले फलों, सब्जियों, मांस, मछलियों, अंडों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी.

2. ताजी मिठाईयां, नमकीन वस्तुयें, फल, सब्जियां, दूध, दही, उबली चाय, काफी, शरबत, मांस मछली अंडे, आईसक्रीम, कुल्फी आदि खुले रूप में बर्फ के लड्डू व चूसने वाले अन्य पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जावेंगे और उन्हें जालीदार ढक्कनों से ढंक कर कांच की बन्द अलमारी अथवा पारदर्शी आवरण में ढंक कर इस प्रकार रखे जावेंगे कि, मक्खी, मच्छर आदि जन्तुओं या दूषित हवा संपर्क उनको मानव उपयोग के लिये दूषित या अस्वास्थ्यकर अथवा अनुपयोगी न हो सके.

(ख) इस आदेश के द्वारा प्रतिबन्धित अवधि में घोषित अधिसूचना में या क्षेत्र से बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण क- के (1) (2) में उल्लेखित वस्तुओं यथा तैयार कर एवं पकायें हुए भोजन को न तो लायेगा और न ही ले जायगा.

(ग) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र में किसी बाजार, मकान, दुकान, स्थान अथवा खाने पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय या निर्माण वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थानों में प्रवेश करने, निरीक्षण करने विद्यमान ऐसे वस्तुओं की जांच पड़ताल करने तथा खाने-पीने की ऐसी वस्तुओं का जो मानव के खाने पीने की ऐसी वस्तुओं का जो मानव उपयोग के लिए अभिप्रेत है और एतरने और अन्य उपर्युक्त वस्तुओं के अधि... [illegible] ... रीति से निवर्तन करने के लिये जिससे वह मानव द्वारा उपयोग में लाये न जाने से रोका जा सके अधिसूचित क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित अधिकारी को प्राधिकृत करती हूं.

1. समस्त कार्यपालिक दंडाधिकारी.

2. ऐसे चिकित्सक पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सक अधिकारी के पद से नीचे न हों तथा शासकीय वैद्य, आयुर्वेदिक औषधालय.

3. ऐसे प्रारक्षी पदाधिकारी जो प्रधान आरक्षक की श्रेणी से नीचे न हों.

4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी.